सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 70 राँची, मंगलवार, 10 माघ, 1939 (श०)

30 जनवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

7 दिसम्बर, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. जिला अधिकारी, पटना का पत्रांक-4142, दिनांक 17 नवम्बर, 1995
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-751, दिनांक 14 फ़रवरी, 2004; संकल्प सं०-705, दिनांक 7 फ़रवरी, 2008; संकल्प सं०-7067, दिनांक 10 जुलाई, 2014; पत्रांक-7720, दिनांक 6 सितम्बर, 2016 एवं पत्रांक-10158, दिनांक 25 सितम्बर, 2017
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-629, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक- 2511, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

संख्या-5/आरोप-1-413/2014 का.-11962–मो० मुजफ्फर अली, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, पटना, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, के विरूद्ध जिला अधिकारी, पटना के पत्रांक-4142, दिनांक 17 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । मो० अली के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1- अपर समाहर्त्ता, पटना के पदस्थापन काल में मौजा-ढक्कनपुरा, थाना नं०-7, थाना-फुलवारी शरीफ, पटना, खाता सं०-349, खेसरा नं०-526 सर्वे खतियान में 0.82 एकड़ तथा नक्शा के अनुसार 9.84 एकड़, जो सर्वे खतियान में आम नाला तथा लोक भूमि के रूप में है, इसके बावजूद आपके द्वारा राजस्व विविध वाद सं०-135/87-88, दिनांक 25 मई, 1995 को श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह एवं श्री प्रमोद कुमार सिंह के नाम से 2.59 एकड़, श्री जनक सिंह के नाम से 2 बिगहा, 10 कट्ठा, श्री सुरेश चन्द्र सिंह के नाम से 3 कट्ठा तथा श्री राजीव रंजन एवं शशि रंजन, पिता-श्री जगदीश सिंह के नाम से 3 कट्ठा जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अपनाते हुए जमाबंदी कायम करने का आदेश पारित किया गया, जबकि खतियान एवं नक्शा में दर्ज रकबा के अंतर का सुधार बिना व्यवहार न्यायालय के आदेश से विवादित किसी भी रकबा पर स्वत्व का अधिकार देना राजस्व न्यायालय के व्यवहार के बाहर है तथा पंजी-II में दर्ज रकबा का रसीद निर्गत करना विदाउट प्रिजुडिस है । अतः आपके द्वारा कृत कारवाई कदाचार एवं अक्षमता का द्योतक है ।

आरोप सं०-2- उक्त लोक भूमि के प्रति सैयद फर्जन्द अली, सुपुत्र-स्व० जवाबजादा एस० ओ० मेंहदी, बादशाह मंजिल, गुजरी, पटना द्वारा सब जज-I के न्यायालय में जनक सिंह एवं 29 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध स्वत्व वाद सं०-153/81 दायर है, जिसमें सरकार इन्टरवेनर है । यह वाद अभी न्यायालय में विचाराधीन है तथा मा० न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा भी लगाया गया है । इस प्लाट में कुछ भाग पर अतिक्रमण के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के न्यायालय में अतिक्रमण वाद सं०-179/77-78 राज्य सरकार बनाम जीवानन्द सिंह एवं दायर है, जो विचाराधीन है, किन्तु वास्तविकता को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं है तथा सरकार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

आरोप सं०-3- अपर समाहर्त्ता, पटना के न्यायालय में प्रतिपक्षी द्वारा दायर अतिक्रमण अपील वाद सं०-72/81-82 में दिनांक 27 फरवरी, 1982 को श्री जीवानन्द सिंह के नाम से 2.59 एकड़ जमीन की जमाबन्दी कायम करने का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा रिवीजन पिटीशन दायर किया गया, जिस पर दिनांक 5 जनवरी, 1989 को दिनांक 27 फरवरी, 1982 के आदेश को निरस्त करते हुए खोली गयी जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया, किन्तु इसे नजरअंदाज कर गैर जिम्मेवराना तरीके से दिनांक 25 मई, 1995 को राज्य सरकार के विरूद्ध आदेश पारित किया गया ।

आरोप सं०-4- वर्ष 1989 में अतिक्रमण हटाने के दौरान मा० न्यायालय में दायर याचिका सं०-7324/89 वीरेन्द्र कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं 5141/89 जनक सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को हुए निर्णय द्वारा राजस्व वाद सं०- 135/87-88 के दिनांक 5 जनवरी, 1989 के निर्णय को निरस्त कर दिया गया तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेने का आदेश दिया गया, किन्तु आपके द्वारा दिनांक 25 मई, 1995 को वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर निर्णय दिया गया, जो आपके निजी स्वार्थ एवं सरकारी निर्देशों के उल्लंघन को परिलक्षित करता है ।

आरोप सं०-5- पटना शहर के अंतर्गत खास महल के कुल 338 लीजधारकों का लीज रद्द करने हेतु समाहर्त्ता द्वारा सरकार से अनुशंसा की गयी, किन्तु इसमें से 28 खासमहल भूमि में बिना समाहर्त्ता की अनुमति प्राप्त किये आपके द्वारा लगान जमा करने हेतु नियम विरूद्ध एवं अनियमित तरीके से आदेश पारित किया गया, जो आपके निजी स्वार्थ एवं कदाचार का द्योतक है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-751, दिनांक 14 फरवरी, 2004 एवं अनुवर्ती संकल्प सं०-705, दिनांक 7 फरवरी, 2008 तथा संकल्प सं०-7067, दिनांक 10 जुलाई, 2014 द्वारा मो० अली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-629, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया है । विभागीय कार्यवाही के दौरान मो० अली द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् है:-

आरोप सं०-1 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके द्वारा दिनांक 25 मई, 1995 को रिभेन्यू मिसलेनियस वाद सं०-135/87-88 के अभिलेख में दिया गया आदेश (संलग्न फोल्डर, पृ० 86/प०) माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-7324/89 एवं 4115/89 में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को पारित आदेश (संलग्न फोल्डर, पृ० 96/प०) में दिये गये निर्देश के आलोक में है। जहाँ तक मौजा- ढक्कनपुरा, थाना नं०-7, थाना-फुलवारी शरीफ, पटना, खाता सं०-349, खेसरा नं०-526 का प्रश्न है, उसका वास्तविक रकबा सर्वे नक्शा के अनुसार 9.84 एकड़ है, जबकि सर्वे खतियान में मात्र 0.84 एकड़ रकबा गैरमजरूआ आम नाला के रूप में दर्ज है । खेसरा सं०-526 का शेष 9 एकड़ भूमि शामिलात तौजी के सभी मालिकाना के अपने-अपने हिस्से के मुताबिक बँटवारा कर दखल कब्जा में होने के तथ्य की पुष्टि 1905 के नक्शे में उस समय के कलक्टर मि० आर०सी० हेमिटन द्वार दिनांक 28 मार्च, 1905 को की गयी तथा भूतपूर्व जमींदार को उनके हिस्से के मुताबिक भूमि विभिन्न रंगो में नक्शे में दर्शायी गयी है । यही कारण था कि पुनः 1911 के सर्वे में जो आम नाला पाया गया, उसके अनुसार मात्र 0.84 एकड़ गैर मजरूआ आम नाला के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज किया गया । अतः यह आरोप लगाना कि आरोपी पदा० को यह जानकारी थी कि सर्वे में 9.84 एकड़ आम नाला दर्ज है, जो आज भी लोक भूमि के रूप में है,

बिल्कुल निराधार है, क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे में अंकित रकबा 0.84 एकड़ को 9.84 एकड़ मानना उचित नहीं होगा । सर्वे के अनुसार इंदराज रकबा का सुधार करना या उसकी वैधता को चुनौती देना एक निर्धारित अवधि के समापन के बाद किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

आरोप सं०-2 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि सरकारी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में जानकारी दी गयी थी कि जनक सिंह वगैरह के विरूद्ध एक हकीयत वाद सिविल कोर्ट के सब जज-4 के न्यायालय में लंबित है, जो खाता सं०-526, रकबा-13 बिगहा के संबंध में है, किन्तु इस आशय का कोई कागजी प्रमाण आरोपी पदाधिकारी को नहीं दिया गया है कि हकीयत वाद सं०-153/81 में निषेधाज्ञा जारी किया गया है । सरकारी अधिवक्ता अथवा किसी अन्य स्रोत से भी यह जानकारी नहीं दी गयी कि प्रश्नगत स्वत्व वाद सं०-153/81 में सरकार इंटरवीनर है, जैसा कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश, दिनांक 25 मई, 1995 से स्पष्ट है । जहाँ तक अतिक्रमण वाद सं०-179/ 77-78 उप समाहर्त्ता प्रभारी भूमि सुधार, पटना सदर के न्यायालय में लंबित दिखाया गया है, इसे अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा अतिक्रमण अपील वाद सं०-72/ 81-82 में दिनांक 27 फरवरी, 1982 को पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है । विविध वाद सं०-135/ 87-88 में पारित आदेश की वास्तविकता को नजरअंदाज करने संबंधी आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०-7324/89 एवं 4115/89 में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को पारित आदेश द्वारा विविध वाद सं०-135/87-88 में दिनांक 5 जनवरी, 1989 को पारित आदेश निरस्त कर दिया गया है । इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेशों की वास्तविकता को नजरअंदाज करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित दोनों याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25 मई, 1995 को आदेश पारित किया गया है और यह अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत् किया गया है ।

आरोप सं०-3 पर बचाव बयान- अतिक्रमण वाद सं०-179/77-78 उप समाहर्त्ता, प्रभारी-भूमि सुधार, पटना सदर के न्यायालय में लंबित दिखाये जाने के संबंध में कहना है कि अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा अतिक्रमण अपील वाद सं०-72/81-82 में दिनांक 27 फरवरी, 1982 को पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है । विविध वाद सं०-135/87-88 में दिनांक 25 मई, 1995 को पारित आदेश की वास्तविकता को नजरअंदाज करने का आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०-7324/89 एवं 4115/89 में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को पारित आदेश (संलग्न फोल्डर, पृ० 96/प०) द्वारा विविध वाद सं०- 135/87-88 में दिनांक 5 जनवरी, 1989 (पृ० 202/प०) को पारित आदेश निरस्त कर दिया गया है । आरोपी पदाधिकारी द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित दोनों याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक

25 मई, 1995 को आदेश पारित किया गया है और यह अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत् किया गया है ।

आरोप सं०-4 पर बचाव बयान- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इन्होंने मा० उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में सभी पक्षों एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन एवं सम्यक् रूप से विचार करते हुए अपने पूर्वाधिकारी अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा अतिक्रमण अपील वाद सं०-72/81-82 में दिनांक 27 फरवरी, 1982 को पारित आदेश प्रभावी मानते हुए आदेश दिया गया है, जो विधिसम्मत है । यह आदेश अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत् पारित किया गया है । यदि पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होता, तो इसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील अथवा रिवीजन दायर कर इसे संशोधित कराने की प्रक्रिया अपनायी जाती ।

आरोप सं०-5 पर बचाव बयान- जिन मामलों में खासमहल भूमि से संबंधित लीज रद्द करने हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया, उन मामलों में सरकार का लीज रद्द होने संबंधी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था एवं लीजधारी द्वारा भूखण्ड का व्यवहार किया जा रहा था । अतः लीजधारी से लगान की राशि जमा कराना कोई अनुचित एवं अनियमित कार्य नहीं माना जा सकता, बल्कि लगान नहीं जमा कराने सं सरकार को राजस्व की क्षति होती । लगान जमा कराने के लिए समाहर्त्ता का अनुमोदन प्राप्त करने का भी कोई प्रावधान नहीं है ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा मो० अली के बचाव बयान पर निम्नवत् मंतव्य उपलब्ध कराया गया-

आरोप सं०-1 पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य- समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में कहा गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव-बयान में प्रश्नगत मामले से संबंधित अभिलेखीय तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख करके उनके द्वारा इसे मामले में पारित आदेश को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, परंतु उन्होंने इस तथ्य पर कोई प्रतिकूल तथ्य अंकित नहीं किया है कि खतियान एवं नक्शा में दर्ज रकबा के अंतर के सुधार हेतु सक्षम न्यायालय प्रश्नगत मामले में व्यवहार न्यायालय है । वे इस तर्क को भी नकारने में असफल रहे हैं कि उनके द्वारा पारित आदेश नियमसंगत नहीं था । माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-7324/89 एवं 4115/89 में दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को पारित आदेश में सभी पक्षों को सुनकर रिवेन्यू मिसलेनियस वाद सं०-135/1987-88 को निष्पादित करने का निदेश दिया गया था, परंतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा सरकार के हित के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया । समाहर्त्ता का दावा तथ्यपूर्ण है कि विगत सर्वे के भू-अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों में व्याप्त विसंगतियों का संशोधन व्यवहार न्यायालय के ही क्षेत्राधिकार में था । राजस्व न्यायालय इसके लिए सक्षम नहीं थी । प्रसंगाधीन भूमि मौजा-ढक्कनपुरा, थाना नं०-7, थाना-फुलवारी शरीफ, पटना, खाता सं०-349, खेसरा नं०-526 का प्रश्न है, उसका वास्तविक रकबा सर्वे नक्शा के अनुसार

9.84 एकड़ आम नाला तथा लोक भूमि के रूप में अनाबाद सर्वसाधारण के खाते में दर्ज था । स्पष्टतः सर्वे मानचित्र व खतियान में से किसी एक की प्रविष्टि गलत थी । भूमि सर्वसाधारण खाते के नाले के रूप में दर्ज थी । सुनवाई के दौरान समाहर्त्ता की ओर से पुनरीक्षण सर्वेक्षण 1911 (वर्ष 1908-09) का खतियान (संलग्न फोल्डर, पृ० 130/प० एवं 2789/प०) व मानचित्र (संलग्न फोल्डर, पृ० 279/प०) को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत खतियान के अनुसार प्रसंगाधीन भूमि अनाबाद सर्वसाधारण खाता सं०-349, खेसरा सं०-526, रकबा-0.84 एकड़ के रूप में अभिलिखित है । मानचित्र में खेसरा सं०-526 का रकबा अभिलिखित 0.84 एकड़ से काफी अधिक 9.84 एकड़ है । आरोपी पदा० का यह दावा कि कैडेस्टल सर्वेक्षण के मानचित्र में अशुद्धि थी, सत्य नहीं है ।

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-108 के अंतर्गत भू-अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षों के अंदर इस तरह की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता था। इस प्रकार वर्ष 1909 में प्रकाशित भू-अधिकार अभिलेख की अशुद्ध प्रविष्टियों का निराकरण वर्ष 1914 तक किया जा सकता था, पर प्रस्तुत साक्ष्य व अभिलेखों के अवलोकन से ऐसी कोई कार्रवाई जिला प्रशासन अथवा रैयतों की ओर से की गयी प्रतीत नहीं होती है । फलतः भू-अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों में संशोधन अब व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही है ।

प्रसंगाधीन भूमि में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अभी भी संयत्र इत्यादि स्थापित कर उनका सार्वजनिक हित में उपयोग किया जा रहा है । राज्य सरकार के लिए पटना राजधानी शहर की 9 एकड़ भूमि काफी बहुमूल्य व महत्त्वपूर्ण थी । जिला प्रशासन को इस अशुद्धि के निराकरण के लिए स्वतः संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए था ताकि सर्वसाधारण के भूमि की सुरक्षा हो सके ।

अपर समाहर्ता के रूप में आरोपी पदाधिकारी का इस सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति की अतिक्रमणकारियों से सुरक्षा का दायित्व स्पष्ट था । पर, आरोपी पदाधिकारी ने कालांतर में सरकारी सार्वजनिक हितों को नजरअंदाज करते हुए विभिन्न व अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों के बीच अतिक्रमणकारियों के पक्ष में आदेश पारित कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया था । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-2 पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य- समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी का कहना है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता के रूप में आदेश पारित करने के पूर्व व्यवहार न्यायालय में लंबित वाद के संबंध में कागजात एवं अन्य सूचना प्राप्त नहीं किया गया, जो उनकी जवाबदेही थी और उनके अद्यतन बचाव-बयान में इस तथ्य को नकारा भी नहीं गया है । स्पष्टतः प्रश्नगत भूमि से संबंधित हकीयत वाद सं०-183/81 एवं 153/81 के लंबित रहने एवं इसकी जानकारी तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, पटना को होने के पश्चात् भी सरकार के हित के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना नियमसंगत नहीं है ।

समाहर्त्ता का उक्त कथन तथ्यपूर्ण है । आरोपी पदा० का दावा कि सरकारी अधिवक्ता अथवा किसी अन्य स्रोत से भी उन्हें यह जानकारी नहीं दी गयी थी कि प्रश्नगत स्वत्व वाद सं०-153/81 में सरकार इंटरवीनर है, मान्य नहीं है । सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर व्यवहार न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में सरकारी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अपर समाहर्त्ता का दायित्व है । आरोपी पदाधिकारी को यदि संबंधित आवश्यक सूचनाएँ उपलबध नहीं थीं, तो यह उनकी अक्षमता ही कही जाएगी । संबंधित न्यायिक वादों की अद्यतन सूचना एकत्र किए बिना आदेश पारित करना आरोपी अपर समहर्त्ता के पक्षपातपूर्ण कृत को ही इंगित करता है । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-3 पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य- समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी का कहना है कि अतिक्रमण अपील वाद सं०-72/1981-82 में दिनांक 27 फरवरी, 1982 को तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा पारित आदेश (संलग्न फोल्डर, पृ० 109/प०) को रिवेन्यू मिसलेनियस वाद सं०-135/1987-88 में दिनांक 5 जनवरी, 1989 (संलग्न फोल्डर, पृ० 112/प०) को रिवाइज कर दिया गया था । अतः पूर्ववर्ती अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा अतिक्रमण अपील वाद सं०-72/1981-82 में प्रश्नगत भूमि के रैयती हक संबंधी निर्णय का औचित्य नहीं रह जाता है ।

तथ्य यह है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश, दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को पारित आदेश (संलग्न फोल्डर, पृ० 96/प०) द्वारा तत्कालीन अपर समाहर्त्ता श्री के०डी०पी० सिंह के आदेश, दिनांक 5 जनवरी, 1989 को पारित आदेश (संलग्न फोल्डर, पृ० 112/प०), को रद्द कर अपर समाहर्त्ता के मामले की पुनः सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया था । इसी के आलोक में आरोपी पदाधिकारी ने मामले की पुनः सुनवाई कर प्रसंगाधीन आदेश पारित किया था, पर आदेश पारित करने के पूर्व अतिक्रमण वाद में स्वत्व की गहराई से छानबीन नहीं की गयी । इनके द्वारा राजस्व पंजी-ii के इंद्राज के आधार पर स्वत्व का निर्धारण कर दिया, जो विधिसंगत नहीं था । इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में स्वेच्छाचारिता बरती गयी । अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के कार्यान्वयन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा न्यायिक दक्षता का परिचय नहीं देकर लोकहित को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया । इस कारण ये अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत पउउनदपजल का दावा नहीं कर सकते ।

आरोप सं०-4 पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि अपने पूर्वाधिकारी अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा अतिक्रमण अपील वाद सं०-72/81-82 में दिनांक 27 फरवरी, 1982 को पारित आदेश प्रभावी माना गया, क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में रिवीजन कर उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया गया था । आरोपी पदाधिकारी की यह समझ या तो उनकी भूल थी अथवा प्रतिपक्षियों के हित में जानबूझकर ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया । मा० पटना उच्च न्यायालय ने जब अपर समाहर्ता के दिनांक 5 जनवरी, 1989 के आदेश को

रद्द कर दिया था, तब दिनांक 27 फरवरी, 1982 का आदेश भी रद्द हो गया था । मा० न्यायालय का आदेश दोनों पर समान रूप से लागू था और मा० न्यायालय ने इसी कारण यह व्यवस्था दी थी कि अपर समाहर्ता सभी संबद्ध पक्षों को सूचना देकर उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करे तथा पूरे मामले की तहकीकात गहराई से करे और एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुँचे ।

मा० पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका अंतर्गत पारित आदेश (संलग्न फोल्डर, पृ० 101-102/प०) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण वाद सं०-135/87-88 के दिनांक 5 जनवरी, 1989 के अपर समाहर्त्ता के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था तथा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। मा० न्यायालय ने अपने आदेश में सरकारी पक्ष के इस दलील को भी विचारणीय माना था कि "If the matter was subjudice before the D.C.L.R. and no order was passed, it was not proper for the Additional Collector to pass a different order assuming the power of the appellate authority. Prima facie, the grievance of the learned Counsel for the State appears to be justified."

माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आरोपी पदाधिकारी से अपने उक्त आदेश में तत्कालीन अपर समाहर्त्ता के दिनांक 27 फरवरी, 1982 के आदेश को आधार न मानकर स्वतंत्र रूप से तथ्यों की तहकीकात कर निष्पक्ष व तथ्यपूर्ण निर्णय लेने की अपेक्षा की थी, ताकि मामले में न्यायसंगत निर्णय होता, पर आरोपी पदाधिकारी ने इस दायित्व का निर्वहन न कर पूर्व में की गयी गलती को और पुख्ता करने का ही प्रयास किया था । आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि दिनांक 27 फरवरी, 1982 के आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण वाद अथवा अपील दायर नहीं किया गया था, इसलिए वह आदेश अंतिम मान लिया गया । यह निष्कर्ष मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की मूल भावना के विपरीत ही था ।

मामला मूलतः विगत पुनरीक्षण सर्वे के खतियान व मानचित्र में विवादग्रस्त प्लाट सं०-526 के रकबा की प्रविष्टि में विसंगति से संबंधित था । गैरमजरूआ आम खाते की इस भूमि के संरक्षण का दायित्व भी अपर समाहर्त्ता का ही था । इस प्रकार अपर समाहर्त्ता के रूप में आरोपी पदाधिकारी की दोहरी, प्रशासनिक व न्यायिक जिम्मेवारी थी । आरोपी पदाधिकारी का दायित्व था कि निहित स्वार्थ वाले तत्वों को सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने से रोका जाय । जिले के अपर समाहर्त्ता के रूप में आरोपी पदाधिकारी से उस सार्वजनिक भूमि के संबंध में न्याय निर्णय करने में उच्चतर स्तर के सावधानी की अपेक्षा थी । आरोपी पदाधिकारी ने इस गंभीर दायित्व का विधिसंगत निर्वहन न कर अपनी गलत मंशा का ही परिचय दिया था । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

आरोप सं०-5 पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी के बचाव-बयान से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी ने तत्कालीन नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं का अपने दृष्टिकोण से निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्याख्या करने का प्रयास किया है । इन्होंने लगान रसीद के आधार पर स्वत्व प्राप्ति का निष्कर्ष निकाला है और इनका तर्क है कि लगान के राशि की प्राप्ति की स्वीकृति प्रदान कर इनके द्वारा सरकारी हित का संरक्षण किया गया था । इन्होंने लगान रसीद निर्गत कर सरकार की दोहरी स्थिति पैदा कर दी और इसका सीधा लाभ लगान जमा करने वाले रैयतों के हित

में ही स्पष्ट होता है । आरोपी पदाधिकारी का यह कृत्य निजी स्वत्व की संपुष्टि हेतु सरकारी राजस्व की क्षति मात्र का छद्म तर्क मात्र समझ में आ रहा है । यह दोहरा तर्क आरोपी पदाधिकारी की निहित मंशा को इंगित करता है । इनका तर्क विधिमान्य नहीं है । आरोप प्रमाणित होते हैं ।

मो० अली के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अधीन मो० अली के पेंशन से 20 (बीस) प्रतिशत पेंशन की कटौती आजीवन किये जाने का दण्ड प्रस्तावित किया गया है । उक्त प्रस्तावित दण्ड को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-7720, दिनांक 6 सितम्बर, 2016 द्वारा मो० अली से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया ।

अली के पत्र, दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया ।

मो० अली से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई, समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है, जो इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव-बयान में कहे गये थे ।

समीक्षोपरांत मो० अली के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत 20 प्रतिशत पेंशन की कटौती आजीवन किए जाने के दण्ड अधिरोपण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-10158, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-2511, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अतः, मो० मुजफ्फर अली, झा०प्र०से०, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, पटना, संप्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 20 (बीस) प्रतिशत पेंशन की कटौती आजीवन किए जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 70 -- 50